To Regularize the Un-authorized Colonies

Shri Ram Kumar Gautam, M.L.A.: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize the unauthorized colonies in the State; if so, the time by which these are likely to be regularized?

Sh. Anil Vij, URBAN LOCAL BODIES MINISTER

Sir, there is no proposal under consideration of the Government to regularize the unauthorized colonies. However, the Government under the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016, has already declared 685 colonies in the State as Civic Amenities and Infrastructure Deficient Area. Further, if any proposal within the time period of validity of the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016 will received from the competent authority, then the same will be examined as per the laid parameter and if found in order, the colony will be declared as Civic Amenities and Infrastructure Deficient Area.

अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना

233. श्री राम कुमार गौतम, एम.एल.ए.: क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या राज्य में अनिधकृत कालोनियों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इन्हे कब तक नियमित किए जाने की संभावना है?

श्री अनिल विज, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

श्रीमान्, अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। हालांकि, सरकार द्वारा हरियाणा नगरपालिका अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2016 के तहत राज्य में 685 कॉलोनियों को नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना से अपूर्ण क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अलावा, अगर हरियाणा नगरपालिका अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) में सक्षम प्रधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त होता है, तब उसे निर्धारित मापदंडों के अनुसार जांचा जाएगा और यदि सही हुआ तो कॉलोनी को नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना से अपूर्ण क्षेत्र घोषित किया जाएगा।